



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



पत्रांक- 965/241/NULM/तीन/2018-19(SM&ID-SHG P.Branding)

दिनांक- 20.2.2018

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उ०प्र० के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन हेतु एकीकृत नामकरण एवं प्रतीक चिन्ह (ब्राण्ड का नाम एवं लोगो) के निर्धारण हेतु सर्वसाधारण से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शहरों में राज्य शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर तैयार किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों/सामग्रियों यथा-अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाना, गारमेन्ट्स मेकिंग, हैण्डिक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौने, पतंग, जूते-चप्पल एवं प्लास्टिक बैग आदि को "एक नाम तथा एक लोगो" (Brand Name & Logo) से बिक्री किये जाने के लिए सर्वसाधारण से पुरस्कार आधारित प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से चयनित 03 विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में रू० 15000/-, द्वितीय पुरस्कार रू० 10000/- एवं तृतीय पुरस्कार रू० 5000/- दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि सर्वसाधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हेतु संक्षिप्त विवरण, संस्थागत एवं व्यक्तिगत आवेदन हेतु प्रारूप तैयार कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री "एक नाम तथा एक लोगो" (Brand Name & Logo) से किये जाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर आवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये। जिससे समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु नाम तथा लोगो का चयन किया जा सके तथा चयनित विजेता को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जा सके। आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 08.03.2018 है। आवेदन पत्र ई-मेल smidnulmup@gmail.com के माध्यम से, डाक के माध्यम से अथवा सीधे मिशन निदेशक कार्यालय, शहरी आजीविका मिशन उ०प्र० पर्यटन भवन, प्रथम तल, गोमती नगर, लखनऊ एवं 10, नवचेतना केन्द्र, सूडा उ०प्र० के कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ या सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, सूडा के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सूडा को प्राप्त आवेदन ससमय उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

प्रतिलिपि-

1. सम्बन्धित परि० अधिकारी/सी०एम०एम०, सी०एम०एम०यू०, सूडा को अनुपालनार्थ।
2. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर पत्र एवं समस्त विवरण एवं प्रारूप अपलोड हेतु।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

मिशन निदेशक

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

मिशन निदेशक

दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन हेतु एकीकृत नामकरण एवं प्रतीक चिन्ह (ब्राण्ड का नाम एवं लोगो) के निर्धारण हेतु सर्व साधारण से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

राज्य शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 द्वारा मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रदेश के शहरों में स्थानीय आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों/सामग्रियों यथा-अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाना, गारमेन्ट्स मेकिंग, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौने, पतंग, जूते-चप्पल एवं प्लास्टिक बैग आदि का उत्पादन किया जा रहा है।

मिशन के अन्तर्गत समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की सुचारु रूप से बिक्री किये जाने के उद्देश्य से उत्पादों को "एक नाम तथा एक लोगो" का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का "नाम तथा लोगो" का निर्धारण सर्वसाधारण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाना है। तत्क्रम में सर्वसाधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त समूह उत्पाद के नाम तथा लोगो के प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा उ0प्र0 द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जायेगा :-

प्रथम पुरस्कार रूपया	-	15,000/-
द्वितीय पुरस्कार रूपया	-	10,000/-
तृतीय पुरस्कार रूपया	-	5,000/-

इच्छुक व्यक्ति/संस्था निर्धारित प्रारूप सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट www.sudaup.org से डाउनलोड करके/सम्बन्धित जनपद के परियोजना अधिकारी, सूडा कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करके अपना आवेदन ई-मेल smidnulmup@gmail.com के माध्यम से, डाक के माध्यम से अथवा सीधे मिशन निदेशक कार्यालय, शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 पर्यटन भवन, प्रथम तल, गोमती नगर, लखनऊ एवं 10, नगचेतना केन्द्र, सूडा उ0प्र0 के कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ में या सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, सूडा के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।

आवेदन निर्धारित तिथि 08.03.2018 की सायं 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आवेदन पत्रों को ही पुरस्कार हेतु मूल्यांकन/परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन हेतु राज्य मिशन निदेशालय, सूडा उ0प्र0 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

मिशन निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ कर विस्तृत सूची एवं विजेताओं के नाम अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह तक मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा उ0प्र0 को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तदोपरान्त, विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी जायेगी। पुरस्कार वितरण आगामी दिवसों में एक समारोह का आयोजन कर वितरित किया जायेगा। विजेताओं की सूची सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। विजेताओं की घोषणा के सम्बन्ध में किसी भी आवेदक का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। मिशन निदेशक/निदेशक सूडा उ0प्र0 को बिना कारण बताये पुरस्कार की प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/आवेदक का कोई भी दावा किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा। पुरस्कार हेतु व्यक्तिगत आवेदन का प्रारूप 'क' एवं संस्थागत आवेदन का प्रारूप 'ख' संलग्न है।

प्रारूप 'क'— व्यक्तिगत आवेदन हेतु प्रारूप

राज्य शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन के लिए एकीकृत नामकरण एवं प्रतीक चिन्ह (ब्राण्ड का नाम एवं लोगो—Logo) हेतु व्यक्तिगत आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम —.....आयु—.....लिंग—.....
2. पिता/पति का नाम —.....
3. आवेदक का व्यवसाय —.....
4. आवेदक का पता (मकान नं0/गांव/मुहल्ला)—.....
.....
5. पोस्ट आफिस—.....थाना—.....
6. मोबाइल नं0—.....
7. ई-मेल आईडी—.....
8. प्रदेश में मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के एक नाम से बिक्री के लिए एकीकृत नामकरण (ब्रांडिंग) हेतु नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में सुस्पष्ट कैपिटल लैटर में):—
 1.
 2.
 3.
9. ब्रांड हेतु लोगो (Logo)—(लोगो 2 x 2.5" के साइज में) हाथ से बना हुआ अथवा कम्प्यूटर से बना हुआ मान्य होगा।
 - 1.
 - 2.
 - 3.
10. ब्रांड नाम एवं लोगो चुनने का कारण (अधिकतम 25 शब्द में)—

आवेदक के हस्ताक्षर—

पूरा नाम—

दिनांक—

प्रारूप 'ख'— संस्थागत आवेदन हेतु प्रारूप

राज्य शहरी आजीविका मिशन उ०प्र० के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन के लिए एकीकृत नामकरण एवं प्रतीक चिन्ह (ब्राण्ड का नाम एवं लोगो—Logo) हेतु संस्थागत आवेदन पत्र

1. आवेदक संस्था का नाम —.....
स्थापना वर्ष—.....पंजीकरण संख्या—.....वैधता तिथि—.....
2. संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम —.....
3. संस्था का कार्यक्षेत्र —.....
4. संस्था का पता (मकान नं०/गांव/मुहल्ला)/संस्था का पूरा पता—.....
.....
5. पोस्ट आफिस—.....थाना—.....
6. संस्था का फोन/मोबाइल नं०—.....
7. संस्था का ई-मेल आईडी—.....
8. प्रदेश में मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के एक नाम से बिक्री के लिए एकीकृत नामकरण (ब्रांडिंग) हेतु नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में सुस्पष्ट कैपिटल लैटर में):—
 4.
 5.
 6.
9. ब्रांड हेतु लोगो (Logo)—(लोगो 2 x 2.5" के साइज में) हाथ से बना हुआ अथवा कम्प्यूटर से बना हुआ मान्य होगा।
 - 4.
 - 5.
 - 6.
10. ब्रांड नाम एवं लोगो चुनने का कारण (अधिकतम 25 शब्द में)—

आवेदक संस्था के मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित—

पूरा नाम—

दिनांक—